न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 144–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–12–2012 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 77/अपील/10–11.

रामकृष्ण वल्द ठाकुर लाल गुर्जर
निवासी ग्राम पोखरनी
तहसील टिमरनी जिला हरदा .....आवेदक

विरूद्ध

1– चम्पालाल वल्द मोहनलाल गुर्जर
2– नारायण वल्द मोहनलाल गुर्जर
निवासीगण ग्राम पोखरनी
तहसील टिमरनी जिला हरदा .....अनावेदकगण

श्री अनिल कानवा, अभिभाषक एवं
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री नितिन स्थापक, अभिषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/8/14 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा तहसीलदार, टिमरनी के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 सहपठित 178 के अंतर्गत उभय पक्ष के मध्य हुए पारिवारिक विभाजन के अनुसार नाम दर्ज करने के संबंध में आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 101/अ–27/2007–08 दर्ज कर दिनांक 7–6–2008 को बटवारा आदेश पारित करते हुए अभिलेख दुरूस्त करने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–1–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–12–2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 44 (2) में प्रावधान है कि विचाराधीन आदेश में प्रभाव रखले वाले प्रथा संबंधी किसी सारवान विवाद्यक का निर्धारण न हो सका हो तथा प्रकिया में कोई सारवान त्रुटि हुई हो, तभी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सकता है, और तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष की सहमति एवं कब्जे के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, जो कि संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप है । अतः आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(2) फर्द बटान एवं आदेशिकाओं पर अनावेदक कमांक 1 चम्पालाल के हस्ताक्षर होने से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा स्वतंत्र सहमति से प्रकिया में भाग लेकर बटवारा को मान्य किया गया है, इस स्थिति पर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(3) संहिता की धारा 178 के अंतर्गत सहखातेदारों के मध्य विभाजन का प्रावधान है, इसलिए तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने के बावजूद भी निरस्त करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(4) अनावेदकगण द्वारा सहमति के आधार पर बटवारा आदेश पारित होने से विवंध का सिद्धांत लागू होता है, और सहमति के विपरीत कथन करने का अधिकार अनावेदकगण को नहीं है ।

(5) अनावेदक कमांक 1 द्वारा द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के समक्ष व्यवहार वाद कमांक 108 ए/13 प्रस्तुत किया गया था, जो कि निरस्त हो गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश सिविल न्यायालय से अंतिम हो गया है, क्योंकि इस प्रकरण में एवं व्यवहार वाद के प्रकरण की विषय वस्तु एक ही है ।

तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 219, 1998 आर.एन. 319, 1996 आर.एन. 33 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक के पिता अनावेदकगण के पिता के मध्य वर्ष 1992–93 में बटवारा होकर पृथक–पृथक खाते कृषि भूमि पर चले आ रहे हैं । इस प्रकार प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि नहीं रही है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा संयुक्त खाते की भूमि मानकर बटवारा करने में गंभीर अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) वर्ष 1992–93 में बटवारा होने के पश्चात अनावेदक कमांक 2 नारायण के नाम पर भूमि सर्वे कमांक 19/2, 19/5 एवं 19/6 राजस्व अभिलेख में दर्ज है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा करने में तहसील न्यायालय द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है, क्योंकि जब प्रश्नाधीन भूमि सहखातेदार के रूप में दर्ज नहीं है, तब उसका बटवारा नहीं किया जा सकता है ।

(3) आवेदक द्वारा अनावेदकगण से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर बटवारा करा लिया गया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है, क्योंकि एक खाते की भूमि में सहखातेदार के रूप में अन्य व्यक्ति का नाम जोड़े बगैर फर्द बटान तैयार नहीं किया जा सकता है ।

(4) उभय पक्ष के पृथक–पृथक खाते होकर पृथक–पृथक भूमियों पर नाम दर्ज हैं, और वे आपस में सहखातेदार नहीं हैं, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को बटवारा करने का कोई अधिकार नहीं था ।

(5) तहसील न्यायालय द्वारा बिना किसी पंजीकृत विलेख के प्रश्नाधीन भूमियां आवेदक के नाम अंतरित कर दी गई है, जिससे शासन को मुद्रांक शुल्क की हानि हुई है ।

तर्कों के समर्थन में 2002 आर.एन. 302 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेख में ओवदक एवं अनावेदकगण के नाम पृथक पृथक भूमियॉ दर्ज है और संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत संयुक्त खाते की भूमि होने पर बटवारा किये जाने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारे के लिये सहखातेदार होना आवश्यक है, जबकि इस प्रकरण में इस प्रकार की स्थिति विद्यमान नहीं है, अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है और उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिये तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में आयुक्त द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इस कारण आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–12–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर